'भर्तियां विवादित प्रश्न-उत्तरों में अटक जाती हैं, ऐसे आर.पी.एस.सी. को चलाने का क्या औचित्य?'

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में मौखिक टिप्पणी की

- 'आर.पी.एस.सी के कैसे विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं कि वे क्या ओपिनियन दे रहे हैं'
- कोर्ट ने आर.पी.एस.सी से पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2018 के विवादित प्रश्नों से जुडे मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि आरपीएससी के कैसे विशेषज्ञ हैं, जिन्हें पता नहीं कि वे क्या ओपिनियन दे रहे हैं। इससे तो बेरोजगार युवाओं को परेशान किया जा रहा है। पहले तो भर्तियां होती नहीं हैं और होती हैं तो वे विवादित प्रश्न-उत्तरों में अटक जाती हैं। ऐसे में आरपीएससी चलाने का औचित्य क्या रह जाता है। इसके साथ ही अदालत ने एएजी एसएस राघव से विषय वार बताने को कहा है कि भर्ती में कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। वहीं आरपीएससी से पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश हेमराज रोदिया व अन्य की याचिकाओं पर दिए। इसके साथ ही अदालत ने 29 मार्च को आरपीएससी के अधिकारी को पेश होने को कहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने कहा कि विषय विशेषज्ञों से ही प्रश्न-उत्तरों की जांच करवाई जानी चाहिए, लेकिन आरपीएससी कभी यह नहीं बताता कि उन्होंने किन एक्सपर्ट से मामले की जांच कराई है। इसलिए मामले की एक्सपर्ट कमेटियों के विशेषज्ञों की जानकारी भी बतानी चाहिए। भूगोल, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, राजनीति विज्ञान, हिंदी, इतिहास व चित्रकला विषय की इस भर्ती में आयोग को एक्सपर्ट कमेटी से विवादित प्रश्नों की जांच करवानी थी, लेकिन अदालती आदेश के बाद भी उत्तर कुंजी में बदलाव नहीं किया गया। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने बताया कि आरपीएससी सचिव के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मंसूरी जाने के कारण वे पेश नहीं हुए हैं। इसके अलावा मामले का पुनः परीक्षण कराया जा रहा है। इस पर अदालत ने आरपीएससी और राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य की प्रथम महिला सत्यवती मिश्र ने बुधवार को नव संवत्सर 2080 और चैत्र नवरात्रि के आरम्भ पर राजभवन स्थित राज राजेश्वर मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की। उन्होंने देवी आराधना कर सभी की खुशहाली, सम्पन्नता और बेहतरी के लिए कामना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने चेटीचण्ड पर्व (23 मार्च) के अवसर पर भी देश और प्रदेशवासियो को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

भगवा रैली में लहराई 1100 ध्वज पताकाएं

जयपुर। सीकर रोड ढहर के बालाजी स्थित सियारामदासजी की बगीची से बुधवार को 1100 ध्वज पताकाओं के साथ शोभायात्रा निकली। मंदिर के महंत सियारामदास महाराज ने पूजन कर शोभायात्रा को रवाना किया। जय श्रीराम के जयकारों के साथ शोभायात्रा रवाना हुई। शोभायात्रा में कुछ लोग दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर भी थे। अधिकांश लोग पैदल चल रहे थे। शोभायात्रा के खेतान चौराहा पहुंचने पर विहंगम दृश्य बन गया। व्यापारियों ने पुष वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया। पथ नंबर सात, प्रतापनगर चौराहा, केडिया पैलेस होते हुए शोभायात्रा मुरलीपुरा सर्किल पहुंची। सर्व समाज की ओर से निकाली गई भगवा रैली आतिशबाजी आकर्षण का केन्द्र रही। विधायक नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल सहित बडी संख्या में गणमान्य लोग रैली में शामिल हुए।

विद्यालय प्रबंधन समितियां पुरस्कृत

जयपुर। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्रबंधन एवं विकास में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली एसएमसी (स्कूल प्रबंधन समिति) एवं एसडीएमसी (शाला विकास एवं प्रबंधन समिति) को बुधवार को यहां शिक्षा संकुल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल कार्यक्रम में पुरस्कृत किया गया। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला के मुख्य आतिथ्य और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी 33 जिलों से राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित एक-एक एसएमसी एवं एसडीएमसी के नामों की घोषणा की गई। इन समितियों में से प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है। समितियों के खातों में कुल 66 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण ऑनलाइन किया जा रहा है।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों के विकास एवं संवर्द्धन में एसएमसी एवं एसडीएमसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना से नवाचारों की संवाहक बनें। विद्यालयों में एसएमसी एवं एसडीएमसी की स्थापना और सर्वश्रेष्ठ समितियों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना इसी परिकल्पना पर आधारित है।

आदेश की पालना नहीं करने पर कोर्ट नाराज

- रिश्वत मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन को निलंबित नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार ने जवाब पेश नहीं किया

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी सवाई माधोपुर नगर परिषद के चेयरमैन को निलंबित नहीं करने के खिलाफ दायर याचिका में राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा की 6 अप्रैल तक जवाब पेश किया जाए। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने स्वायत्त शासन निदेशक को पेश होकर जवाब देने को कहा है। जस्टिस इंद्रजीत सिंह की एकलपीठ ने यह आदेश तूफान सिंह व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरके गौतम ने अदालत को बताया कि नगर परिषद चेयरमैन विमल चंद महावर को रिश्वत मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। एसीबी में मामला दर्ज होने के बाद 21 अक्टूबर को महावर को जेल भेज दिया गया। वहीं प्रकरण में आरोप पत्र पेश होने के बाद 21 दिसंबर को उन्हें जमानत मिल गई। जमानत पर बाहर आने के बाद महावर ने वापस चेयरमैन पद का कार्यभार संभाल लिया। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2015 में इसी नगर परिषद के तत्कालीन चेयरमैन कमलेश कुमार को भी रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया था। जबकि वर्तमान चेयरमैन महावर को राजनीतिक कारणों के चलते निलंबित नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि गत 27 दिसंबर को नगर परिषद आयुक्त की ओर से महावर की ओर से बिना अनुमति वापस पदभार ग्रहण करने की जानकारी भी उच्चाधिकारियों को दी गई। इसके बावजूद भी आयुक्त ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा कार्मिक विभाग के वर्ष 2001 और वर्ष 2010 में प्रावधान है कि लोक सेवक के रंगे हाथों गिरफ्तार होने पर उसे पद से निलंबित किया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में नगर परिषद को 3.50 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए स्वीकृत हुए हैं। जिनके दुरुपयोग होने की संभावना है। वहीं राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया।

प्रदेश में 20 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में करोना संक्रमण के मामलों में थोड़ा-बहुत उतार चढ़ाव बना हुआ है। इसके चलते बुधवार को राज्य में 20 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 163 हो गए हैं।

प्रदेश में बुधवार को सात जिलों में 20 नए संक्रमित सामने आए हैं। इससे पहले राज्य में मंगलवार को 31 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा 5 संक्रमित भीलवाड़ा में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर व उदयपुर में 4-4, अजमेर में 3, बीकानेर में 2 और बूंदी तथा गंगानगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

प्रदेश में बुधवार को 7 मरीज रिकवर हुए हैं। राज्य में नए संक्रमितों के मुकाबले रिकवरी कम होने से एक्टिव केस बढ़कर 163 हो गई हैं। इनमें इनमें उदयपुर में 38, जयपुर में 39, भीलवाड़ा में 27, बीकानेर में 16, जोधपुर में 13, राजसमंद में 9, अलवर व अजमेर में 8-8, जालोर में 5, गंगानगर में 3, भरतपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, कोटा, नागौर और सिरोही में 1-1 मामला है।

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9660 लोगों की मौत हो चुकी है।

टाइम्स की वरिष्ठ युवा पत्रकार पलक नान्दी का अचानक हुआ निधन

स्व.पलक नान्दी

जयपुर। वरिष्ठ पत्रकार और टाइम्स ऑफ इण्डिया के जयपुर संस्करण की डिप्टी ब्यूरो प्रमुख पलक नान्दी का आज प्रातः यहाँ निधन हो गया। वह 44 वर्ष की थी और अविवाहित थी।

पलक नान्दी आज प्रातः राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने भाई तथा अपने कुत्ते के साथ कार चलाकर भ्रमण के लिए गई। कार पार्क कर वह पैदल भ्रमण के लिए गई ही थी कि अचानक वह गिर पड़ी। उन्हें जबर्दस्त हृदयघात हुआ था और वह मूछित हो गई। उनके भाई मयंक नान्दी जो गत दिन ही अहमदाबाद से पलक के साथ जयपुर आए थे पलक को अस्पताल ले गए। दुर्लभजी अस्पताल के आपातकालीन विभाग में उन्हें ले जाया गया जहाँ डॉक्टरों ने पड़ताल के बाद मृत घोषित किया। डॉक्टरों के अनुसार जब वह अस्पताल लाई गई तब तक उनका निधन हो चुका था।

इसके बाद उनके भाई ने मित्रों और टाइम्स ऑफ इण्डिया के पलक के सहकर्मियों से सम्पर्क किया। इसके बाद पलक को पोस्ट मार्टम कराने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया। वहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कॉवटिया अस्पताल ले जाना गया जहाँ पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत कार्डियाक अरेस्ट के कारण हुई यह लिखा गया। पलक मूलतः अहमदाबाद की थी, और उनके परिवार के सदस्य अहमदाबाद ही रहते है इस कारण अन्तिम संस्कार अहमदाबाद में करने का फैसला किया गया। उनके शव को एम्बूलेन्स द्वारा अहमदाबाद ले जाया गया। जहाँ कल प्रातः उनका अन्तिम संस्कार किया जाएगा।

शव के साथ उनके भाई मयंक तथा टाइम्स ऑफ इण्डिया के विशेष संवाददाता भानु प्रताप सिंह और वरिष्ठ संवाददाता अजय सिंह अहमदाबाद गए।

तिलक नगर, जहाँ पलक अकेली एक फ्लैट में रहती थी के लोगों ने अहमदाबाद रवाना होने से पूर्व भावभीनी श्रद्धाजंली अर्पित की। उनके अन्तिम दर्शन करने के लिए टाइम्स ऑफ इण्डिया के स्थानीय सम्पादक कुणाल मजूमदार और सम्पादकीय सहकर्मियों ने भी उन्हें श्रद्धाजंली अर्पित की।

हंसमुख और मृदुभाषी पलक का सम्बन्ध अहमदाबाद के निकट पाटन के एक कुलीन नागर ब्राह्मण परिवार से था। पलक ने पत्रकारिता की शिक्षा बडोदरा के एम.एस. विश्वविद्यालय से ली और वर्ष 2002 मुं अपनी पत्रकारिता इण्डियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद संस्करण में एक रिपोर्टर के हैसियत से शुरू की। महिलाओं से सम्बन्धित विषयों के अलावा पक्षुकूरता आदि विषयों पर इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित रिपोर्टो पर उनकी प्रशंसा हुई।

चार वर्षो तक अहमदाबाद संस्करण में उनकी कार्यक्षमता और रिपोटिंग शैली से प्रसन्न होकर उन्हें जयपुर इण्डियन एक्सप्रेस का राज्य संवाददाता बनाकर भेजा गया। इण्डियन एक्सप्रेस में उनकी राजनीतिक रिपोर्ट विशेष कर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति की रिपोर्ट की सर्वत्र चर्चा हुई। वर्ष 2008 में जब टाइम्स ऑफ इण्डिया का जयपुर संस्करण एक बार पुनः आरंभ हुआ तो वह एक्सप्रेस छोड़कर टाइम्स में आ गई। वर्ष 2018 तक रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने समाचार समन्वयन का कार्य संभाला और अपनी प्रतिभा तथा दक्षता के बल पर सफल सिंद्ध हुई। समाचार संकलन और राज्य के विभिन्न जिलों कीखबरों पर उनकी पैनी निगाहें रहती थी। लीक से हटकर विभिन्न विषयों पर विशेष रिपोर्टिंग करवाने के लिए वह हमेशा सहकर्मियों को प्रेरित करती थी।

जयपुर में बनेगा नगर वन

जयपुर (का.सं.)। जयपुर वासियों के लिए बडा हर्ष का विषय है जयपुर की सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र के खातीपुरा इलाके में वन विभाग की भूमि पर भारत सरकार की नगर वन योजना के तहत नगर वन बनने जा रहा है।

सांसद रामचरण बोहरा ने दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर उन्हें जयपुर में नगर वन बनाने के लिए धन्यवाद दिया।

प्रकृति से जितना जल लें उतना संरक्षण भी करें : रमेश मीणा

जयपुर (का.सं.)। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने कहा है कि प्रकति में जल सीमित है और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम प्रकति से जितना जल अपने उपयोग के लिए उतना ही प्रकति को अपने जल संरक्षण कार्यों से लौटाएं भी।

मीना विश्व जल दिवस के अवसर पर बुधवार अपराह्न जवाहर कला केन्द्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजीव गांधी जल संचय योजना आरजीजेएसवाई के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारम्भ करने के बाद राज्य भर से आए जलग्रहण समितियों के प्रतिनिधियो विभागीय अधिकारियो ग्रामीणों को सम्बोधित कर रहे थे।

मीना ने कहा कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। जल अग्नि धरती आकाश और वायु तत्वों के आदर और संरक्षण की परम्परा हमारी संस्कृति में हमेशा रही है। औद्योगिक गतिविधियों अतिक्रमण अत्यधिक दोहन अविवेकी खेती से जल चक्र अवरोधित हो रहा है। भावी पीढि यों और प्रकृति के लिए जल का समुचित प्रबन्धन जरूरी है।

उन्होंने ग्रामीण जन को नदियों की सेंटर लाइन तय करने लुप्त हो चुकी नदियों के पुनर्जीवन के लिए प्रयास करने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने खेती के लिए जैविक खाद का उपयोग करने रास्तों से अतिक्रमण हटा जलाशयों में पानी की पहुंच सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए अनुरोध किया। साथ ही हर व्यक्ति को जल संरक्षण का संकल्प लेने को कहा।

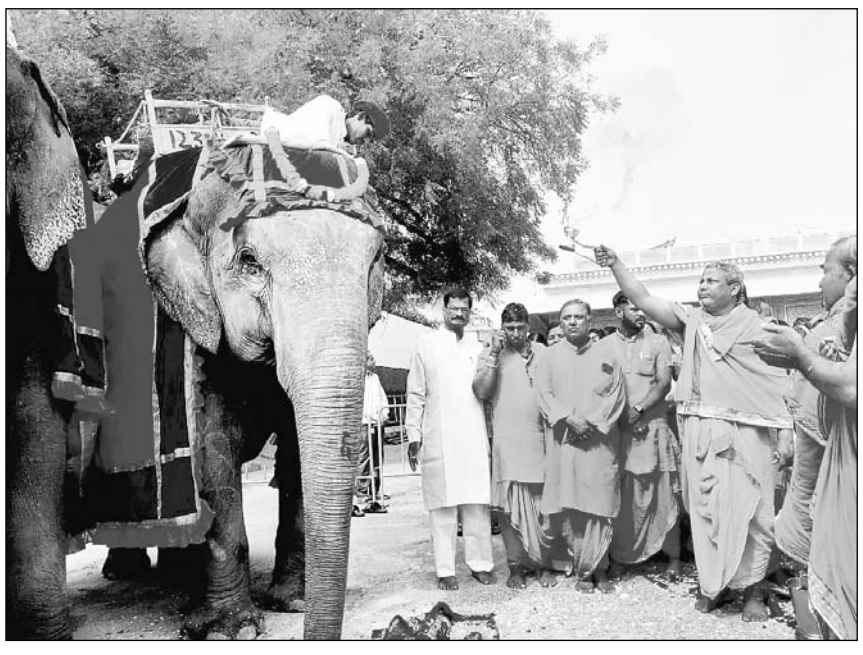

नव विक्रमी संवत्सर 2080 की प्रभातवेला में वर्ष के पहले दिन छोटीकाशी के देवालयों में श्रद्धालुओं ने ठाकुरजी के दर्शन किए। मंदिर में ही नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ। सभी मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई। आराध्य देव गोविंद देवजी मंदिर में सुबह गज पूजन किया गया। सजे धजे गजराजों का पूजन कर पुष्प वर्षा की। गजराजों ने भी सूंड उठाकर अभिवादन किया। इससे पूर्व ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर नवीन पोशाक धारण कराई गई।

मानसरोवर में 468 मकान मालिकों को ग्रेटर निगम ने नोटिस थमाया

मध्यम मार्ग पर बनी दुकानों और अवैध निर्माण को 7 दिन में हटाने की चेतावनी

जयपुर (कासं)। मानसरोवर में मध्यम मार्ग पर बसने वाले 468 परिवारों को ग्रेटर नगर निगम ने अवैध निर्माण हटाने का नोटिस थमाया है। अचानक इन नोटिसों के मिलने के बाद स्थानीय दुकानदारों और रहवासियों में हड़कंप मच गया है। हाईकोर्ट के आदेशों पर ग्रेटर निगम प्रशासन ने इन अवैध निर्माणों को 7 दिन में हटाने का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते निर्माण हटाया नहीं गया तो यह कार्रवाई नगर निगम करेगा। इन नोटिसों के विरोध में व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने बुधवार को स्थानीय पार्षद एवं चेयरमैन अभय पुरोहित की अगुवाई में बैठक बुलाई। जहां फैसला हुआ कि व्यापारी इन नोटिसों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। व्यापारियों ने इसके लिए संघर्ष समिति बना ली है।

ग्रेटर नगर निगम से नोटिस मिलने के बाद मानसरोवर क्षेत्र के व्यापारियों ने चेयरमैन अभय पुरोहित की अगुवाई में बुधवार को बैठक बुलाकर चर्चा की।

- ग्रेटर नगर निगम से मिले इन नोटिसों के बाद पीड़ित परिवारों में हड़कंप मचा
- विरोध में दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने पार्षद अभय पुरोहित की अगुवाई में मीटिंग की
- बैठक में निर्णय हुआ कि नगर निगम के नोटिस के विरोध में लोग कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे

जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मानसरोवर जोन उपायुक्त मुकेश चौधरी ने बताया कि हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक याचिका पर आदेश देते हुए अवैध निर्माण को चिह्नित कर नोटिस देने और उन पर कार्रवाई करके पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं आदेशों की पालना में आज इन सभी घरों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों में इन सभी को अपने स्तर पर अवैध निर्माण या आवासीय में जो व्यवसायिक गतिविधियां संचालित है, उनको हटाने के लिए कहा है। अगर कोई नहीं हटाएगा तो नगर निगम अपने स्तर पर कार्रवाई करके इन्हें हटाएगा।

बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने यह आदेश मानसरोवर निवासी मनमोहन नागपाल की याचिका पर सुनवाई के बाद दिए है। नागपाल का मानसरोवर के सेक्टर 30 में फ्लैट है जो प्रथम मंजिल पर है और ग्राउंड फ्लोर पर बने फ्लैट व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। इसके अलावा फ्लैट मालिक ने सैट बैक एरिया में भी दुकानें बना रखी हैं। नगर निगम ग्रेटर ने 2 मार्च को इन दुकानों को सील कर दिया था। इस पर दुकान मालिक अनिल गुप्ता ने हाईकोर्ट में पेश होकर कोर्ट को बताया कि करीब 5 किलोमीटर लंबे पूरे मध्यम मार्ग पर ही आवासीय मकानों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो अकेले उसकी ही दुकानों को क्यों सील किया गया है? इस पर कोर्ट ने नगर निगम ग्रेटर को मध्यम मार्ग का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

बुधवार को मानसरोवर में नगर निगम ग्रेटर मानसरोवर जोन के द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी किए गए, जिनका व्यापारियों ने विरोध किया। सभी व्यापार मंडलों ने एकजुट होकर एक मीटिग बुलाई, जिसमें निर्णय लिया कि मानसरोवर व्यापार महासंघ संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और कानूनी राय के साथ अपना संघर्ष करेंगे। मीटिग में जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सिंह संचोरा, स्थानीय पार्षद मुकेश लख्यानी, अभय पुरोहित, शक्ति प्रसाद यादव, राम अवतार गुप्ता, सद्भावना व्यापार मंडल के संरक्षक मनोज पांडे, अध्यक्ष दीपक जगा सेंट्रल व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गोठवाल, महामंत्री भवर पंडित, आदर्श व्यापार मंडल के रामअवतार शर्मा, थड़ी मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश चौधरी, बड़ा बाजार में व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोविद लालवानी, पटेल मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष घनश्याम गुप्ता सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे।